न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/385

मांगीलाल आत्मज गोपीलाल जाति काछी निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी।

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज स्वर्गीय श्री छोटूलाल जाति काछी निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. कजोडी लाल आत्मज स्वर्गीय श्री छोटूलाल जाति काछी निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में खाता संख्या 356 खसरा नम्बर 656 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 657 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 659 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 660 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 968 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 969 रकबा 13, खसरा नम्बर 670 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1102 रकबा 22 बीघा कुल 09 किता की कुल रकबा 62 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता का 1/2 हिस्सा अंकित है । राजस्व अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि को वादी व प्रतिवादी क्रम 1व 2 के अलग–अलग खाते में बिना कब्जे की जॉच किये अंकित कर दिया । राजस्व अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से भूमि खसरा नम्बर 2330/657 रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 660 रकबा 03 बीघा में से 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि जो वादी की भूमि खसरा नम्बर 659 के पूर्वी ओर स्थित है से लगवा है जिस पर वादी काबिज है, उक्त भूमि 01 बीघा 03 बिस्वा व 02 बिस्वा को प्रतिवादी क्रम 01 के खाते अंकित कर दिया जबकि उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त

में है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2330/657 रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 660 रकबा 03 बीघा में से पश्चिमी तरफ की 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि जो वादी की भूमि खसरा नम्बर 659 के पश्चिमी तरफ लगवा है जिस पर वादी काबिज है का वादी को खातेदार घोषित किया जावे । उक्त आराजी से प्रतिवादी क्रम 01 का नाम खाते से विलोपित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.05.2015 को पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.06.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान एक ही पीढी के लोग हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नही दिया कि तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट निर्णय से पूर्व स्वंय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई उसमें स्पष्ट है कि जिस भूमि का वादी खातेदार घोषित कराना चाहता है वह वादी अपीलान्ट के ही कब्जे में है । इस तथ्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने स्टाम्प ड्यूटी का लॉस होना मानने में भारी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के खिलाफ एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2330/657 रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 660 रकबा 03 बीघा में से पश्चिमी तरफ की 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि जो वादी अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 659 के पश्चिमी तरफ लगवा है जिस पर वादी काबिज है का वादी को खातेदार घोषित किया जावे । पक्षकारान के द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया फिर भी दावा खारिज किया गया जो विधि–विरूद्ध है । पक्षकारान आपस में एक ही पीढी के लोग हैं । तहसीलदार की रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया था कि जिस भूमि का वादी खातेदारी अधिकार चाहता है वह भूमि उसके कब्जे में है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के अनुसार दावे को डिक्री करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे (6) 1999 पेज 531 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2052–55 नया खाता संख्या 356 में कुल 09 किता की 62 बीघा 14 बिस्वा आराजी मांगीलाल वल्द गोपीलाल हिस्सा 1/2, छोटूलाल वल्द ग्यारस्या हिस्सा 1/2 के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार नया खाता संख्या 502 में कुल 05 किता की 17 बीघा 05 बिस्वा आराजी बाबूलाल आत्मज छोटूलाल के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार नया खाता संख्या 83 में कुल 03 किता की 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि कजोडीलाल आत्मज छोटूलाल के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 637 में कुल 06 किता की 29 बीघा भूमि मांगीलाल आत्मज गोपीलाल के खाते में दर्ज है । नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति संलग्न है, इसके अलावा राजीनामा पत्रावली पर संलग्न किया गया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय में बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया है । पत्रावली पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है ।

10. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि प्रतिवादी के खाते में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2330/657 रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 660 रकबा 03 बीघा में से 01 बीघा 03 बिस्वा पर उसका कब्जा है इस कारण इसको इस आराजी को खातेदार घोषित किया जावे । यह आराजी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी बाबू लाल के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2052–55 में वादग्रस्त आराजी मांगीलाल वल्द गोपीलाल और छोटूलाल वल्द ग्यारसा के खाते में दर्ज है और नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 502, 83 एवं 637 का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि मांगीलाल और छोटूलाल के खाते में कुल 62 बीघा 14 बिस्वा भूमि का विभाजन होने के उपरान्त 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि बाबूलाल आत्मज छोटूलाल के खाते में 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि कजोडी लाल आत्मज छोटूलाल के खाते में एवं 29 बीघा भूमि मांगीलाल आत्मज गोपीलाल के खाते में दर्ज है परन्तु वादी अपीलान्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह बंटवारा किस आदेश से एवं किस नामान्तरकरण से हुआ जब तक यह स्पष्ट नहीं होता है कि बंटवारा किस आदेश से हुआ है तब तक प्रकरण में राजीनामे के आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । वादीगण अपीलान्ट ने रिकॉर्ड से व दावे में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किस आदेश से एवं कब हुआ है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में वादी अपीलान्ट से बंटवारे से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 10 में किये गये विवेचन के अनुसार वादी अपीलान्ट से वादग्रस्त आराजी के बंटवारे से सम्बन्धित दस्तावेजात प्राप्त कर उनका अवलोकन कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा